

कार्यालय प्रधान महालेखाकार  
(ले. व ह.) छत्तीसगढ़, बलौदा  
बाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर,  
छत्तीसगढ़



OFFICE OF THE PRINCIPAL  
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
Chhattisgarh, Baloda Bazar Road,  
Zero Point, Raipur- 492005

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/प्रशासन-II/F-230/का.आ.-21

दिनांक: 06.05.2026

### कार्यालय आदेश

संभागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) के लिये संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा 2026 निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार इस कार्यालय के व्ही. एल. सी. प्रशिक्षण हाल, तृतीय तल, ए ब्लॉक में आयोजित की जाएगी।

प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होगी तथा प्रश्न पत्र 1 एवं 6 के व्याख्यात्मक/व्यावहारिक भाग पेन पेपर मोड पर एवं प्रश्न पत्र 7 के IT Practical भाग कंप्यूटर पर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने एवं छूट प्राप्त करने हेतु कम से कम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

क्र.	दिनांक	दिन	समय	प्रश्न पत्र	विषय
1.	11/05/2026	सोमवार	11:00 A.M. से 01:30 P.M.	<b>Paper-1</b>	Essay or Precise, Grammar, Letters & Drafting
			03:00 P.M. से 05:00 P.M.	<b>Paper-2</b>	Bookkeeping, Government & Commercial Accountancy
2.	12/05/2026	मंगलवार	11:00 A.M. से 01:00 P.M.	<b>Paper-3</b>	Mandate of the CAG of India and Service Regulations
			03:00 P.M. से 05:00 P.M.	<b>Paper-4</b>	Government Audit and Basic Concepts of Taxation
3.	13/05/2026	बुधवार	11:00 A.M. से 01:00 P.M.	<b>Paper-5</b>	General Accounts, Treasury, Financial & Contract Rules (Central & State Governments)
			03:00 P.M. से 05:30 P.M.	<b>Paper-6</b>	Public Works Accounts & Procedure
4.	14/05/2026	गुरुवार	11:00 A.M. से 01:30 P.M.	<b>Paper-7</b>	Information Technology (IT)

सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के प्रशासन-II अनुभाग से दिनांक 08.05.2026 को प्रवेश पत्र प्राप्त करें तथा प्रवेश पत्र हेतु साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो इस अनुभाग में प्रस्तुत करें।

—Sd—  
उप महालेखाकार (लेखा)

पृ.क्र./प्रशासन-II/F-230/का.आ.-21/STR-47

दिनांक: 06/05/2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित

1. सचिवालय/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिवालय/उप महालेखाकार (लेखा)।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सर्वर (स्थानीय) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/गोपनीय कक्ष (स्थानीय)।
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग (स्थानीय) को परीक्षार्थियों हेतु बैठक एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
6. संबंधित सम्भागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) (व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से)।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशा.-II